Annexure-1 A/0

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 26, सोमवार, शाके 1929—सितम्बर 17, 2007 Bhadra 26, Monday, Saka 1929—September 17, 2007	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 6, 2007

संख्या एफ.8 आ. प्र. एवं स. आ./आ. प्र. /03/19360 :—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करती है, जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन करेगा। उक्त प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1.	वित्त मंत्री	सदस्य
2.	गृह मंत्री	सदस्य
3.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री	सदस्य
4.	जल संसाधन मंत्री	सदस्य
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	सदस्य
6.	कृषि एवं पशुपालन मंत्री	सदस्य
7.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
8.	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री	सदस्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 14 (4) के प्रावधान के अनुसार मुख्य सचिव जो राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं, को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता को सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उक्त प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया जावेगा।

सी.के. मैथ्यू,
प्रमुख शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता।

Disaster Management & Relief Department

NOTIFICATION

Jaipur, September 6, 2007

F.8 (4) DM & R/DM/03/19360.- In exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 14 of the Disaster Management Act, 2005 the State Government hereby establish Authority to be known as Rajasthan State Disaster Management Authority under the Chairmanship of Chief Minister, to discharge the powers and functions of the State Authority under the said Act. The members of the said Authority are:-

1.	Finance Minister	Member
2.	Home Minister	Member
3.	Disaster Management & Relief Minister	Member
4.	Water Resources Minister	Member
5.	Rural Development & Panchayati Raj Minister	Member
6.	Agriculture and Animal Husbandry Minister	Member
7.	Medical & Health Minister	Member
8.	Local Self & Urban Development Minister	Member

As per provision of section 14 (4) of the Disaster Management Act, 2005, Chief Secretary being the Chairperson of the State Executive Committee, is appointed as the Chief Executive Officer of the State Disaster Management Authority, and Principal Secretary, Disaster Management & Member Secretary.

Further in exercise of the powers conferred by sub section (3) of 14 the said Act, the Chairperson of Rajasthan State Disaster Management Authority can Designate any member of said Authority as Vice Chairman.

सी.के. मैथ्यू,
Principal Secretary
Disaster Management & Relief.

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 6, 2007

संख्या एफ.8(4) आ. प्र. एवं. स. आ./आ. प्र./03/19361:—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करती है जिसे उस जिले के आपदा प्रबन्धन के नाम से जाना जावेगा। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निम्नांकित सदस्य होंगे :—

1.	कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला परिषद	सह–अध्यक्ष
3.	जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिले में वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
7.	जल संसाधन विभाग का जिले में वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) में प्रावधान के अनुसार संबंधित जिले के अतिरिक्त जिला दण्डनायक को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सी.के. मैथ्यू,
प्रमुख शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता।

Disaster Management & Relief Department

NOTIFICATION

Jaipur, September 6, 2007

F.8 (4) DM & R/DM/03/19361.- In exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 25 of the Disaster Management Act, 2005 the State Government hereby establish District Disaster Management Authorities one for each district which shall be known by the name of the district, to discharge the powers and functions of the District Disaster Management Authority under the said Act. The members of the said Authority are :-

1.	District Collector	Chairman
2.	Chairman, Zila Parishad	Co- Chair Person
3.	District Chief Executive Officer	Member
4.	District Superintendent of Police	Member
5.	District Chief Medical Officer	Member
6.	District senior most officer of Public Works Department.	Member
7.	District Senior most officer of Water Resources Department	Member

As per provision of section 25 (4) of the Act, Additional District Magistrate of the district is appointed as the Chief Executive Officer of District Disaster Management Authority.

सी. के. मैथ्यू,

Principal Secretary,
Disaster Management & Relief.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।